

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2648] No. 2648] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3334(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और भेरजान-बोराजान-पाडुमोनी वन्यजीव अभयारण्य का वन क्षेत्र तीन भूखंडों में विभाजित है, ये भेरजान, बोराजन और पाडुमोनी असम राज्य के जिला तिन्सुिकया में अवस्थित है जिसमें 1.06 वर्ग किलोमीटर, 4.39 वर्ग किलोमीटर और 1.76 वर्ग किलोमीटर क्रमशः कुल 7.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जिसे असम सरकार के आदेश संख्या एफ. आर. डब्ल्यू-47/99/66 द्वारा तारीख 13 अक्तूबर, 1999 को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है ;

और जहाँ, अभयारण्य में मुख्यतः होलोक ऊलक नरवानर जीवसंख्या आकृष्ट है और महत्वपूर्ण नरवानर गण जैसे- लजीला वानर, लघु पुच्छ वानर, असमी लघु पुच्छ वानर और अन्य पशुओं में जैसे- छछुंदर, चीनी साल, सियार, तेंदुआ बिल्ली, तेंदुआ आदि वन वेध पक्षियों की 83 के आसपास प्रजातियां सिम्मिलित है ।

5160 GI/2015 (1)

और जहाँ, अभयारण्य क्षेत्र ईस्टर मौसमी अनूप वन और असम जलोढ़ समतल अर्ध सदाबहार वन के साथ असम आर्द्र उष्णकटिबंधी घाटी सदाबहार वन के कुछ शेष महत्वपूर्ण खंड विकीर्ण है ।

और जहाँ, अभयारण्य क्षेत्र के प्राणिजात की मुख्य वर्ग जिसमें, जैसे- लघु पुँछ छछुंदर, छछुंदर, केपड लंगूर, तेंदुआ, मुंजक, साही आदि स्तनीयों की 24 प्रजातियां है और जैसे- तालाब बगुला, गारा बगुला, ग्रेट धनेश, कठफोड़वा, गृह गौरैया आदि पक्षियों की 83 प्रजातियां भी सम्मिलित है ।

और, भेरजान-बोराजान-पाडुमोनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भेरजान-बोराजान-पाडुमोनी वन्यजीव (बीबीपीडब्ल्यूएल) अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में भेरजान भूखंड के बारे में 0.52 किलोमीटर से 1.571 किलोमीटर और बोराजान भूखंड के बारे में 0.937 किलोमीटर से 1.396 किलोमीटर तथा पाडुमोनी भूखंड के बारे में 0.628 किलोमीटर से 0.897 किलोमीटर सीमा के क्षेत्र को अधिमूचित करती है जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) भेरजान-बोराजान-पाडुमोनी वन्यजीव अभयारण्य के तीन अलग-अलग भूखंडों के चारों ओर जिला तिन्सुकिया में तीन पारिस्थितिक संवेदी जोन अवस्थित हैं और पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 37.89 वर्ग किलोमीटर है जिसमें भेरजान के लिए 8.94 वर्ग किलोमीटर, बोराजान के लिए 21.41 वर्ग किलोमीटर और पाडुमोनी के लिए 7.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है जिनका विस्तार भेरजान भूखंड के बारे में पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में 0.52 किलोमीटर से 1.571 किलोमीटर और बोराजान के बारे में 0.937 किलोमीटर से 1.396 किलोमीटर और पाडुमोनी भूखंड के बारे में 0.628 किलोमीटर से 0.897 किलोमीटर तक है जिनकी सीमा के ब्यौरे उपाबंध-ा में वर्णित है।

भेरजान की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं

- (क) भेरजान भूखंड : भेरजान भूखंड का पारिस्थितिक संवेदी जोन असम राज्य के जिला तिन्सुकिया में स्थित है और 27°31'21.97" से 27°32'14.90" उत्तरी अक्षांश और 95° 21'52.50" से 95°22'34.44" पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है।
- (ख) बोराजान भूखंड : बोराजान भूखंड का पारिस्थितिक संवेदी जोन असम राज्य के जिला तिन्सुकिया में स्थित है और 27°24'24.34" से 27°26'24.34" उत्तरी अक्षांश से 95°20'04.04" से 95°22'32.62" पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है ।
- (ग) पाडुमोनी भूखंड : पाडुमोनी भूखंड का पारिस्थितिक संवेदी जोन असम राज्य के जिला तिन्सुकिया में स्थित है और 27°31'57.038" से 27°32'36.69" उत्तरी अक्षांश से 95°19'17.73" से 95°18'18.85" पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है ।
- (2) भेरजान, बोराजान और पाडुमोनी भूखंड के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्राम, चाय बागान, विद्यालय आदि की सूची के साथ अक्षांश और देशातंर **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है ।
- (3) बीबीपीड्रब्ल्यूएल अभयारण्य के भेरजान-बोराजान-पाडुमोनी भूखंडों के पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र के साथ अक्षांश और देशांतर **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है ।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में

राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण ;
 - (ii) वन ;
 - (iii) नगर विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) नगरपालिक ;
 - (vi) राजस्व ;
 - (vii) कृषि ;
 - (viii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
 - (ix) सिंचाई; और
 - (x) लोक निर्माण विभाग,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और उक्त महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्घ विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 15, 25, 34, 35 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए लिए पारिस्थितिक अनुकूल क्टीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि ;

- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें स्टढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) वर्षा जल संचय ; और
- (v) क्टीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भंडारण की स्विधा और स्थानीय स्ख-स्विधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भ्-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अन्त्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सिम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।
- (3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
- (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों से संबंधित अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरिक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।
- (6) **ध्वनि प्रद्षण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।
- (8) **बिहसाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बिहस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।
- (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगाः
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
- (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचिलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचिलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाइयां -

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न अन्ज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी		
1	2	3		
	प्रतिषि	द्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।		
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुजात नहीं होगा ।		
(3)	खतरनाक पदार्थीं का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।		
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले नए तेल और गैस की खोज सहित उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।		
(5)	बृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।		
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।		
(7)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।		
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।		
	विनिय	मित क्रियाकलाप		
(9)	पहले से ही चल रहे चाय के कारखाने।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।		
(10)	जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।		

(11)	औषधीय पौधों की खेती ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(12)	नए मोबाइल टावरों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(13)	एनटीएफपी को एकत्रित करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(14)	विद्यमान तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज विस्फोटक इकाई की स्थापना (i) ड्रिलिंग स्थान (ii) उत्पादन स्थापना (iii) पाइप लाइन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, एक किलोमीटर के आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार, पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गनिर्देशों के अनुरुप होंगे।
(16)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परंतु स्थानीय व्यक्ति पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने आवासीय उपयोग हेतु अपनी भूमि में संनिर्माण किए जाने के लिए अनुज्ञात होंगे । परंतु यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय लोगों के लिए संनिर्माण कार्य अनुज्ञात किया जाना आवश्यक होगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
(17)	खाई स्थल ।	नए खाई स्थलों का स्थापन प्रतिषिध किया गया है । पुराने खाई स्थल लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे .
(18)	पोलिथीन के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	वायु और यानिय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	भूजल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के

		बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी;
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे;
		(ग) परियोजना वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
(23)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	विद्युत लाइनों पर तापारोधन।	भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा । पारिस्थितिक संवेदी जोन से गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों पर आंचलिक महायोजना के अंतर्गत विहित किए गए समय सीमा में पर्याप्त रूप से तापारोधन किया जाएगा ।
(25)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लाग् अनुसार उचित रूप से किया जाएगा ।
(26)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाइ लगाना ।	लाग् विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लाग् विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	आंचलिक महायोजना और लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक यान विनियमित होंगे ।
(29)	कृषि प्रणाली या भू-उपयोग पैटर्न में प्रबल बदलाव ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा।
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुजा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।
		(ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
	संवर्धित	क्रियाकिलाप :
(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृर्त और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाल डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मछल् पालन।	т,

(32)	जैविक खेती जिसमें जैव उर्वरक का उपयोग सम्मिलित है ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(33)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(34)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(35)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(36)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

- 5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार असम राज्य के अंतर्गत आने-वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
 - 1. उपाय्क्त, तिन्स्किया अध्यक्ष
 - 2. कार्यपालक इंजीनियर (क्षेत्रीय) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य ;
 - 3. जिला पर्यटन अधिकारी, जिला तिन्स्किया सदस्य ;
 - 4. परियोजना निदेशक, डीआरडीए, जिला तिन्स्किया सदस्य ;
 - 5. संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य, तिन्स्किया सदस्य ;
 - 6. जिला मृदा संरक्षक अधिकारी , ड्रिब्गढ़/तिन्स्किया सदस्य ;
 - 7. महा प्रबंधक, डीआईसी तिन्स्किया सदस्य ;
 - 8. जिला कृषि अधिकारी, तिन्स्किया सदस्य ;
 - 9. जिला मत्स्य अधिकारी, तिन्स्किया सदस्य ;
 - 10. जिला पश्पालन अधिकारी, तिन्स्किया सदस्य ;
 - 11. कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग सड़क और भवन, तिन्स्किया सदस्य ;
 - 12. कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, तिन्स्किया सदस्य ;
 - 13. तिन्स्किया नगरपालिका बोर्ड /नगर समिति का अध्यक्ष सदस्य ;
 - 14. प्रभागीय वन अधिकारी, ड्रिब्गढ़ (टी), ड्रम ड्रमा और डिगबोई प्रभाग सदस्य;
 - 15. सामुदायिक आधारित संगठन जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अविध के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य :
 - 16. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अविध के लिए आसाम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि सदस्य ;
 - 17. आसाम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य ;
 - 18. जिला वन अधिकारी, तिन्सुकिया वन्यजीव प्रभाग आवैतनिक सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन

- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अन्पालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सिन्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थिलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सिम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्घ विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्घ पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/111/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

बीबीपी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के ब्यौरे

- 1. भेरजान खंड की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा
 - **क. दक्षिण**:- बी. एच. ई.1 (027° 31' 04.54" उ, 95° 21' 14.55" पू) 2.7 कि.मी. की दूरी से प्रारंभ होकर चाँदमरी चाय बगान में पूर्व स्टेशन बी. एच. ई. 2 (027° 31' 05.53" उ, 95° 22' 48.45" पू) के टीनसुकीया के बाईपास को पार करके, इसके बाद यह नूगांव को पार करके जगुखोआ में उत्तर-पूर्व स्टेशन बी. एच. ई. 3(027° 32' 04.11" उ, 95° 23' 47.72" पू) 1.4 कि. मी. के आसपास की ओर जाती है ।

- **ख. पूर्व**:- जगुखोआ बी. एच. ई. 3(027° 32' 04.11" 3, 95° 23' 47.72" पू) से प्रारंभ होकर 1 कि. मी. की दूरी में उत्तर स्टेशन बी. एच. ई. 4 (027° 32' 38.14" 3, 95° 23' 47.45" पू) की ओर जाती है ।
- ग .उत्तर :- बी. एच. ई.4 (027° 32' 38.14" 3, 95° 23' 47.45" पू) से प्रारंभ होकर डांगोरी धनजन चाय बगान को पार करके पश्चिम में 3.4 कि.मी. बी.ई .एच . 5 (027° 32' 36.45" 3, 95° 23' 46.79" पू) की ओर जाती है इसके बाद यह गेलापुकुरी चाय बगान में 1.4 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम स्टेशन बी.एच.ई.6 (027° 32' 01.53" 3, 95° 21' 14.55" पू) की ओर जाती है ।
- **u. पश्चिम**:- गेलापुकुरी चाय बगान में स्टेशन बी. एच. ई. 6 (027° 32' 01.53" 3, 95° 21' 14.55" पू) से प्रारंभ होकर 1.6 कि.मी. की दूरी में आड़े-तिरछे स्टेशन बिंदु बी.एच.ई. 1 (027° 31' 04.54" 3, 95° 21' 14.55" पू) की ओर जाती है ।
- 2. बोराजन खंड की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा
 - क. दक्षिण:- बोरगुरी गाँव में स्टेशन बी ओ आर 1(027° 23' 40.14" 3, 95° 20' 18.24" पू) से जुटलीबरी चाय बगान में 3.4 कि.मी. की दूरी में पूर्व स्टेशन बी ओ आर 2(027° 23' 40.59" 3, 95° 22' 20.57" पू) से प्रारंभ होती है, इसके बाद यह महाकली ग्रेट में 3.8 कि.मी. उत्तर-पूर्व स्टेशन बी ओ आर 3 (027° 25' 39.23" 3, 95° 23' 18.88" पू) की ओर जाती है।
 - ख. पूर्व:- महाकली ग्रेंट में स्टेशन बी ओ आर 3 (027° 25' 39.23" 3, 95° 23' 18.88" पू) से प्रारंभ होकर छोटा तींगराई चाय बगान में उत्तर में स्टेशन बी ओ आर 4 (027° 26' 59.49" 3, 95° 23' 13.23" पू) 2.2 कि.मी. की ओर जाती है।
 - ग. उत्तर :- छोटा तींगराई चाय बगान में स्टेशन बी ओ आर 4 (027° 26' 59.49" 3, 95° 23' 13.23" पू) से प्रारंभ होकर इताखुली चाय बगान में पश्चिम स्टेशन बी ओ आर 5(027° 26' 56.66" 3, 95° 20' 34.97" पू) 4.4 कि.मी. की ओर जाती है ।
 - **घ. पश्चिम**:- इताखुली चाय बगान में स्टेशन बी ओ आर 5 (027° 26' 56.66" 3, 95° 20' 34.97" पू) से प्रारंभ होकर बोरगुरी गाँव के दक्षिण में 5.5 कि.मी. की दूरी में आड़े-तिरछे स्टेशन बी ओ आर 1(027° 23' 40.14" 3, 95° 20' 18.24" पू) की ओर जाती है ।
- 3. पदुमानी खंड की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा
 - **क. दक्षिण**:- खेलमती कोयला भाटा में स्टेशन पी.ए.डी PAD1 (027° 31' 32.69" 3, 95° 17' 43.14" पू) प्रारंभ होकर गेलापुखुरी चाय बगान के पूर्व में 3.4 कि.मी. में स्टेशन पी.ए.डी 2 (027° 31' 33.56" 3, 95° 19' 46.30" पू) की ओर जाती है ।
 - **ख. पूर्व**:- गेलापुखुरी चाय बगान में स्टेशन पी.ए.डी 2 (027° 31' 33.56" 3, 95° 19' 46.30" पू) से प्रारंभ होकर नालानी चाय बगान के निकट उत्तर में 2.5 कि.मी. स्टेशन पी.ए.डी 3 (027° 33' 02.18" 3, 95° 19' 43.61" 3) की ओर जाती है ।
 - **ग. उत्तर** :- नालानी चाय बगान के निकट पी.ए.डी 3 (027° 33' 02.18" 3, 95° 19' 43.61" पू) से प्रारंभ होकर पश्चिम में नालानी चाय बगान के निकट 3.5 कि.मी. की दूरी में स्टेशन पी.ए.डी 4 (027° 32' 59.85" 3, 95° 17' 37.21" पू) की ओर जाती है ।
 - **घ. पश्चिम**:- नालानी चाय बगान में स्टेशन पी.ए.डी 4 (027° 32' 59.85" 3, 95° 17' 37.21" पू) से प्रारंभ होकर खेलमती कोयला भाटा में 2.4 कि.मी. दक्षिण में आड़े-तिरछे स्टेशन पी.ए.डी 1 (027° 31' 32.69" 3, 95° 17' 43.14" पू) की ओर जाती है ।

उपाबंध ॥

बोराजन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से बाहर तथा भीतर आने-वाले ग्राम, चाय बागान, विद्यालय आदि की सूची और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ प्रमुख बिन्दुओं पर उनके देशांतर और अक्षांश

क्र. सं.	गाँव का नाम/टी ई/इत्यादि	जिला	मौज़ा	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	कुआरीपथार	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 24' 43.81" 3	095° 20' 32.96" प੍ਰ	
2	बराजनगांव	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25' 41.66" 3	095° 21' 07.30" पू	
3	बिसफुलियागांव	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25' 34.24" 3	095° 20' 38.54" प੍ਰ	
4	महखुली	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25' 56.96" 3	095° 21' 11.98" पू	
5	बापुजी गांव पंचायत	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26′ 17.05″ 3	095° 21' 09.82" प੍ਰ	सरकारी भूमि
6	मॉडल हॉस्पिटल	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26′ 19.13″ 3	095° 21' 14.25" प੍ਰ	सरकारी भूमि
7	इताखुली छरिआली टी जी	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26' 23.53" 3	095° 21' 08.38" ਧ੍ਰ	
8	बरभेटा बंगाली गांव	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26' 45.99" 3	095° 21' 29.59" ਧ੍ਰ	
9	बरभेटा टी जी	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26' 24.64" 3	095° 22' 05.05" प੍ਰ	
10	खेतोपथार	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26′ 35.19″ 3	095° 22' 49.87" प੍ਰ	
11	आयल खाट 1	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26′ 40.23″ 3	095° 22' 57.35" पू	
12	आयल खाट 2	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26' 21.83" 3	095° 22' 40.51" पू	
13	आयल खाट 3	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25' 45.55" 3	095° 22' 46.27" पू	
14	महाकाली टी जी	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25′ 10.23″ 3	095° 22' 26.36" प੍ਰ	
15	ब्रिक फील्ड 1	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25' 54.04" 3	095° 22' 41.26" पू	
16	ब्रिक फील्ड 2	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25' 37.52" 3	095° 23' 07.90" प੍ਰ	
17	ब्रिक फील्ड 3	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26' 40.77" 3	095° 22' 49.26" पू	
18	जातुलीबरीगांव	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 24' 15.26" 3	095° 21' 22.96" पू	
19	मनखुशी टी जी	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 24' 14.29" 3	095° 20' 24.89" ਧ੍ਰ	
20	जतुलीबरी टी जी	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 24' 09.97" 3	095° 22' 26.97" प੍ਰ	
21	जयंती एल पी स्कूल	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 24' 30.27" 3	095° 21' 09.64" प੍ਰ	जातुलीबरी
22	बरा डोंगोरिओल एल पी स्कूल	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 25' 42.09" 3	095° 21' 42.40" प੍ਰ	
23	इताखुली ब्लॉक	तिनसुकिया	तिपलिंग	27° 26' 04.30" 3	095° 21' 21.13" पू	

भेरजान वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से बाहर तथा भीतर आने-वाले ग्राम, चाय बागान, विद्यालय आदि की सूची और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ प्रमुख बिन्दुओं पर उनके देशांतर और अक्षांश

क्र. सं.	गाँव का नाम/टी ई/इत्यादि	ਗਿਕਾ	मौज़ा	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	भेरजान चाय बगान	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 33.67" 3	095° 21' 44.28" प੍ਰ	
2	इथालबरी चाय बगान	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 59.95" ਤ	095° 21' 57.13" पू	
3	दनगारी धनजान चाय बगान	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 16.54" 3	095° 22' 57.32" प੍ਰ	
4	धनजान एल पी स्कूल	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 05.45" 3	095° 23' 00.63" प੍ਰ	


5	नुगाँव	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 39.50" 3	095° 23' 10.17" प੍ਰ	
6	चाँदमरी चाय बगान	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 14.88" 3	095° 22' 24.81" पू	
7	भेरजान गांव	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 27.94" 3	095° 22' 14.80" प੍ਰ	
8	आयल खत	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 35.51" ਤ	095° 23' 24.43" प੍ਰ	धेलाखत
9	भैरजान चाय कारखाना	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 08.03" 3	095° 22' 17.11" पू	

पदुमनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से बाहर तथा भीतर आने-वाले ग्राम, चाय बागान, विद्यालय आदि की सूची और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ प्रमुख बिन्दुओं पर उनके देशांतर और अक्षांश

क्र. सं.	गाँव का नाम/टी ई/इत्यादि	जिला	मौज़ा	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	नालानी गोजाली गांव केसा हुन एल पी स्कूल	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 33.53" 3	095° 18' 07.02" पू	
2	बोजालटोली	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 45.42" 3	095° 18' 34.23" पू	
3	बोजालटोली नामघर	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 14.85" 3	095° 19' 22.40" पू	
4	चाह मोजदोर केन्दरा एल पी स्कूल	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 01.28" 3	095° 19' 28.01" पू	
5	पदुमोनी कारखाना	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 53.86" 3	095° 19' 24.20" पू	
6	ब्रिक फिल्ड ।	तिनसुकिया	रंगागोरा		095° 19' 06.99" पू	
7	ब्रिक फिल्ड 2	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 41.10" 3	095° 19' 16.39" पू	
8	पदुमनी रिसोर्ट	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 40.88" 3	095° 19' 21.10" पू	
9	नालानी हुला	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 54.38" 3	095° 19' 38.20" पू	
10	रंगागोरा टी जी	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 21.29" 3	095° 19' 36.91" पू	
11	गुतीबरी	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 08.73" 3	095° 19' 41.55" पू	
12	पदुमनी टी जी	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 05.53" 3	095° 19' 34.68" पू	
13	सी आर पी एफ कैंप	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 03.73" 3	095° 19' 28.34" पू	
14	राजा सर्वानन्दा सिंघा का स्मारक	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 45.98" 3	095° 19' 24.85" पू	
15	के एन चाय कारखाना	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 40.15" 3	095° 19' 24.63" पू	
16	नोखरोय टी जी 1	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 41.41" 3	095° 18' 15.51" पू	
17	नोखरोय टी जी 2	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 59.69" 3	095° 18' 04.93" 및	
18	पगला बस्ती	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 31' 49.76" 3	095° 18' 38.95" पू	
19	नालानी टी जी	तिनसुकिया	रंगागोरा	27° 32' 55.17" 3	095° 17' 54.09" पू	

उपाबंध III

बीबीपी वन्यजीव अभयारण्य तिनसुकिया के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

- 1. बैठकों की संख्या और दिनांक।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3334(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Bherjan-Borajan-Padumoni Wildlife Sanctuary including three distinct segments of forest patches Bherjan, Borajan and Padumoni situated in Tinsukia District in the State of Assam having an area of 1.06 square kilometre, 4.39 square kilometre and 1.76 square kilometre respectively totalling 7.21 square kilometre was declared a protected area on 13th October 1999 vide Government of Assam order No. FRW-47/99/66.

AND WHEREAS, the sanctuary attracts primate populations especially Hollock Gibbons and important primates like Slow Loris, Pig tailed Macaque, Assamese Macaque and other animals like shrew, Chinese Pangolin, Jackal, Leopard Cat, Leopard including about 83 species of Forest drilling birds;

AND WHEREAS, the sanctuary area has some very significant patches of remnants of Assam Valley Tropical wet Evergreen Forest interspersed with Easter Seasonal Swamp Forest and Assam alluvial plains semi evergreen forests.

AND WHEREAS, this sanctuary area has the principal categories of fauna which *inter alia* include 24 species of mammals like short-tailed mole, Shrew, Capped langoor, Leopard, Barking deer, Porcupine, also includes 83 species of birds like Pond Heron, Cattle Egret, Great Horn Bill, Wood pecker, House sparrow.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bherjan-Borajan-Padumoni Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.52 kilometre to 1.571 kilometre as eco-sensitive zone in respect to Bherjan segment, and from 0.937 km to 1.396 kilometre in respect to Borajan segment and 0.628 kilometre to 0.897 kilometre in respect to Padumoni segment as Eco-Sensitive Zone of Bherjan, Borajan and Padumoni Wildlife (BBPWL) Sanctuary . Details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone. (1) There are three Eco-sensitive Zones located in Tinsukia District around the three separate segments of Bherjan-Borajan-Padumoni Wildlife Sanctuary. The total area of Eco-Sensitive Zone is 37.89 square kilometres comprising of 8.94 square kilometres for Bherjan, 21.41 square kilometres for Borajan and 7.54 square kilometres for Padumoni with an extent varying from 0.52 kilometre to 1.571 kilometres as ecosensitive zone in respect to Bherjan segment, and from 0.937 kilometres to 1.396 kilometres in respect to Borajan segment and 0.628 kilometre to 0.897 kilometre in respect to Padumoni segment. The boundary details of which are given in **Annexure-I.**

Boundaries of Eco-sensitive Zone of Bherjan

- (a) <u>Bherjan Segment</u>: Eco-Sensitive Zone of Bherjan Segment located in the District of Tinsukia in Assam is situated at 27^o 31'21.97" to 27^o 32'14.90" North Latitude and 95^o 21'52.50" to 95^o 22'34.44" East Longitude.
- (b) <u>Borajan Segment</u>: Eco-Sensitive Zone of Borajan Segment located in the District of Tinsukia in Assam is situated at $27^{0}24^{\circ}24^{\circ}24.34^{\circ}$ to $27^{0}26^{\circ}24.34^{\circ}$ North Latitude to $95^{0}20^{\circ}04.04^{\circ}$ to $95^{0}22^{\circ}32.62^{\circ}$ East Longitude.
- (c) <u>Padumoni Segment:</u> Eco-Sensitive Zone boundary of Padumoni Segment located in the District of Tinsukia in Assam is situated at $27^{0}31'57.038$ " to $27^{0}32'36.69$ " North Latitude to $95^{0}19'17.73$ " to $95^{0}18'18.85$ " East Longitude.

- (2) The list of villages, tea garden, school etc. falling in Eco-sensitive Zone of Bherjan, Borajan and Padumoni segments along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone of Bherjan, Borajan and Padumoni segments of Bherjan, Borajan and Padumoni Wildlife Sanctuary along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (viii) Assam State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation
- (x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (6) The Zonal Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 15, 25, 34, 35 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
- (iii) Small scale industries not causing pollution,

- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.
- (9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial Units

- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
	Prohibited	Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.		
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
4.	Setting up of industries including new oil and gas exploration causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.		
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		

8.	Discharge of untreated effluents and solid	Prohibited (except as otherwise provided) as per
	waste in natural water bodies or land area.	applicable laws.
	Regulated	Activities
9.	All ready running tea factories	Regulated as per applicable laws.
10.	Use of Biological Pest Control	Regulated as per applicable laws.
11.	Cultivation of Medicinal plant	Regulated as per applicable laws.
12.	Setting up of new Mobile Tower	Regulated as per applicable laws.
13.	Collection of NTFP	Regulated as per applicable laws.
14.	Existing Establishment of oil, Natural Gas and Mineral explosion unit.	Regulated under applicable laws.
	(i) Drilling location.(ii) Production Installation(iii) Pipe line.	
15.	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
		However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of National Tiger Conservation Authority.
16.	Construction activities	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
17.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
18.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
19.	Air and Vehicular Pollution.	Regulated under applicable laws.
20.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
22.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
23.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	(c) in case of Project Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed. Regulated under applicable laws

24.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the ESZ shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
25.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
26.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
27.	Sign Boards and Hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Movement of Vehicular Traffic at night.	Regulated for commercial vehicles as per the Zonal Master Plan and the applicable laws.
29.	Drastic Change of Agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
	Promoted	Activities
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming including use of Bio Fertilizer.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Assam, which shall comprise of the following namely:-

1	Deputy Commissioner, Tinsukia	Chairperson
2	Executive Engineer (Regional) Pollution Control Board	Member
3	District Tourism Officer, Tinsukia District.	Member
4	Project Director, DRDA, Tinsukia District	Member
5	Jn. Director, Health, Tinsukia	Member
6	District Soil Conservation Officer,	Member
	Dibrugarh / Tinsukia	
7	General Manager, DIC, Tinsukia	Member
8	District Agriculture Officer, Tinsukia	Member

9	District Fishery Officer, Tinsukia	Member					
10	District Veterinary Officer, Tinsukia						
11	E.E., PWD Road & Building, Tinsukia	Member					
12	E.E. National High Way Division, Tinsukia .	Member					
13	Chairperson of Tinsukia Municipality Board /Town Committee						
14	Divisional Forest Officers, Dibrugarh (T), Doom Dooma & Digboi Division	Member					
15	Community based organisation nominated by the State Government for a period of one year	Member					
16	One representative of Non-Governmental Organization (working in the field of environment and heritage) to be nominated by the State Government for a term of one year in each case.	Member					
17	One expert in the area of ecology & environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case.	Member					
18	District Forest Officer, Tinsukia Wildlife Division	Ex-officio Member Secretary.					

6. Terms of reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma appended at **Annexure-IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/111/2015-ESZ -RE]

Annexure-I

Boundary Details of Bherjan-Borajan-Padumoni Wildlife Sanctuary

- 4. Eco-sensitive zone boundary of Bherjan Segment.
 - a. South:- starts from BHE1(027° 31' 04.54" N, 95° 21' 14.55" E) at the distance of 2.7 km crossing the bypass of tinsukia to the east station BHE2(027° 31' 05.53" N, 95° 22' 48.45" E) at chandmari tea garden, then it runs about 1.4km to north-east station BHE3(027° 32' 04.11" N, 95° 23' 47.72" E at jagokhoa crossing the noogaon
 - b. East:-starts from station BHE3(027° 32' 04.11" N, 95° 23' 47.72" E) at jagokhoa towards north station BHE4(027° 32' 38.14" N, 95° 23' 47.45" E) at distance 1km.
 - c. North :-starts from BHE4(027° 32' 38.14" N, 95° 23' 47.45" E) crossing the dangori dhanjan tea garden towards 3.4 km west at station BHE5(027° 32' 36.45" N, 95° 23' 46.79" E) then it runs 1.4km to the southwest station BHE6(027° 32' 01.53" N, 95° 21' 14.55" E) at gelapukuri tea garden.
 - d. West:-starts from station BHE6(027° 32' 01.53" N, 95° 21' 14.55" E) at gelapukuri tea garden crossing the bypass to the coordinate of traverse station point BHE1(027° 31' 04.54" N, 95° 21' 14.55" E) at distance 1.6km
- 5. Eco-sensitive zone boundary of Borajan Segment.
 - a. South:-starts from station BOR1(027° 23' 40.14" N, 95° 20' 18.24" E) at borguri gaon to east station BOR2(027° 23' 40.59" N, 95° 22' 20.57" E) at jutlibari tea garden at the distance of 3.4km, then it runs 3.8km towards the northeast station BOR3(027° 25' 39.23" N, 95° 23' 18.88" E) at mahakali grant.
 - b. East:- starts from station BOR3(027° 25' 39.23" N, 95° 23' 18.88" E) at mahakali grant runs towards north at 2.2km to the station BOR4(027° 26' 59.49" N, 95° 23' 13.23" E) at chota tingrai tea garden
 - c. North :- starts from station BOR4(027° 26' 59.49" N, 95° 23' 13.23" E) at chota tingrai tea garden run towards 4.4km to west station BOR5(027° 26' 56.66" N, 95° 20' 34.97" E) at itakhuli tea garden.
 - d. West:- starts from station BOR5(027 $^{\circ}$ 26' 56.66" N, 95 $^{\circ}$ 20' 34.97" E) at itakhuli tea garden.to traverse station BOR1(027 $^{\circ}$ 23' 40.14" N, 95 $^{\circ}$ 20' 18.24" E) at borguri gaon at the distance of 5.5 km south
- 6. Eco-sensitive zone boundary of Padumani Segment.
 - a. South:-starts from station PAD1(027° 31' 32.69" N, 95° 17' 43.14" E) at khelmati koylabhata towards east at 3.4km station PAD2(027° 31' 33.56" N, 95° 19' 46.30" E) at gelapukhuri tea garden
 - b. East:-starts from station PAD2(027° 31' 33.56" N, 95° 19' 46.30" E) at gelapukhuri tea garden towards northj at 2.5km station PAD3(027° 33' 02.18" N, 95° 19' 43.61" E) near nalani tea garden
 - c. North: starts from PAD3(027° 33' 02.18" N, 95° 19' 43.61" E) near nalani tea garden to the west at distance 3.5km at station PAD4(027° 32' 59.85" N, 95° 17' 37.21" E) at nalani tea garden.
 - d. West:-starts from station PAD4(027° 32' 59.85" N, 95° 17' 37.21" E) at nalani tea garden to 2.4km south traverse station PAD1(027° 31' 32.69" N, 95° 17' 43.14" E) at khelmati koylabhata.

Annexure-II

List of village, tea garden, school, etc. falling outside the boundary of the Borajan Wild Life Sanctuary and falling within the Borajan Wild Life Sanctuary Eco-sensitive Zone along – with their longitudes and latitudes at prominent points.

SL NO	NAME OF THE VILLAGE/ T E /etc	DISTRICT	MOUZA	LATITUDE	LONGITUDE	REMARKS
1	Kuaripathar	Tinsukia	Tipling	27° 24' 43.81" N	095° 20' 32.96" E	
2	BarajanGaon	Tinsukia	Tipling	27° 25' 41.66" N	095° 21' 07.30" E	
3	Bisphuliagaon	Tinsukia	Tipling	27° 25' 34.24" N	095° 20' 38.54" E	
4	Mahkhuli	Tinsukia	Tipling	27° 25' 56.96" N	095° 21' 11.98" E	
5	Bapuji Gaon Panchayat	Tinsukia	Tipling	27° 26' 17.05" N	095° 21' 09.82" E	Govt. Land
6	MODEL HOSPITAL	Tinsukia	Tipling	27° 26' 19.13" N	095° 21' 14.25" E	Govt. Land
7	Itakhuli Chariali TG	Tinsukia	Tipling	27° 26' 23.53" N	095° 21' 08.38" E	
8	Barbheta Bangali Gaon	Tinsukia	Tipling	27° 26' 45.99" N	095° 21' 29.59" E	
9	Barbheta TG	Tinsukia	Tipling	27° 26' 24.64" N	095° 22' 05.05" E	

10	Khetopathar	Tinsukia	Tipling	27° 26' 35.19" N	095° 22' 49.87" E	
11	oil khat 1	Tinsukia	Tipling	27° 26′ 40.23″ N	095° 22' 57.35" E	
12	oil khat 2	Tinsukia	Tipling	27° 26' 21.83" N	095° 22' 40.51" E	
13	oil khat 3	Tinsukia	Tipling	27° 25' 45.55" N	095° 22' 46.27" E	
14	Mahakali TG	Tinsukia	Tipling	27° 25' 10.23" N	095° 22' 26.36" E	
15	Brick Field1	Tinsukia	Tipling	27° 25' 54.04" N	095° 22' 41.26" E	
16	Brick Field2	Tinsukia	Tipling	27° 25' 37.52" N	095° 23' 07.90" E	
17	Brick Field3	Tinsukia	Tipling	27° 26' 40.77" N	095° 22' 49.26" E	
18	Jatulibarigaon	Tinsukia	Tipling	27° 24' 15.26" N	095° 21' 22.96" E	
19	Mankhushi TG	Tinsukia	Tipling	27° 24' 14.29" N	095° 20' 24.89" E	
20	Jatulibari TG	Tinsukia	Tipling	27° 24' 09.97" N	095° 22' 26.97" E	
21	Jayanti LP School	Tinsukia	Tipling	27° 24' 30.27" N	095° 21' 09.64" E	jutlibari
22	BURA DANGORIA LP SCHOOL	Tinsukia	Tipling	27° 25' 42.09" N	095° 21' 42.40" E	
23	ITAKHULI BLOCK	Tinsukia	Tipling	27° 26' 04.30" N	095° 21' 21.13" E	

List of village, tea garden, school, etc. falling outside the boundary of the Bherjan Wild Life Sanctuary and falling within the Bherjan Wild Life Sanctuary Eco-sensitive Zone along – with their longitudes and latitudes at prominent points.


SL NO	NAME OF THE VILLAGE/ T E /etc	DISTRICT	MOUZA	LATITUDE	LONGITUDE	REMARKS
1	BHERJAN TEA GARDEN	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 33.67" N	095° 21' 44.28" E	
2	ETHALBARI TEA GARDEN	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 59.95" N	095° 21' 57.13" E	
3	DANGARI DHANJAN TEA GARDEN	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 16.54" N	095° 22' 57.32" E	
4	DHANJAN LP SCHOOL	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 05.45" N	095° 23' 00.63" E	
5	NOOGAON	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 39.50" N	095° 23' 10.17" E	
6	CHANDMARI TEA GARDEN	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 14.88" N	095° 22' 24.81" E	
7	Bherjan Gaon	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 27.94" N	095° 22' 14.80" E	
8	OIL KHAT	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 35.51" N	095° 23' 24.43" E	DHELAKHAT
9	Bherjan Tea Factory	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 08.03" N	095° 22' 17.11" E	

List of village, tea garden, school, etc. falling outside the boundary of the Padumoni Wild Life Sanctuary and falling within the Padumoni Wild Life Sanctuary Eco-sensitive Zone along – with their longitudes and latitudes at prominent points.

Sl. No.	NAME OF THE VILLAGE/ T E /etc	DISTRICT	MOUZA	LATITUDE	LONGITUDE	REMARKS
1	NALANI GOJALI GAON KESA HUN L P SCHOOL	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 33.53" N	095° 18' 07.02" E	
2	Bozaltoli	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 45.42" N	095° 18' 34.23" E	
3	Bozaltoli Namghar	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 14.85" N	095° 19' 22.40" E	
4	CHAH MOJDOR KENDRA LP SCHOOL	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 01.28" N	095° 19' 28.01" E	
5	PADUMONI FACTORY	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 53.86" N	095° 19' 24.20" E	
6	BRICK FIELD 1	TINSUKIA	RANGAGORA		095° 19' 06.99" E	
7	BRICK FIELD 2	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 41.10" N	095° 19' 16.39" E	
8	PADUMONI RESORT	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 40.88" N	095° 19' 21.10" E	
9	Nalani Hula	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 54.38" N	095° 19' 38.20" E	
10	Rangagora TG	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 21.29" N	095° 19' 36.91" E	
11	Gutibari	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 08.73" N	095° 19' 41.55" E	
12	Padumoni TG	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 05.53" N	095° 19' 34.68" E	
13	CRPF camp	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 03.73" N	095° 19' 28.34" E	
14	Memorial Of King sarvananda singha	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 45.98" N	095° 19' 24.85" E	
15	K N Tea Factory	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 40.15" N	095° 19' 24.63" E	
16	Nokhroy TG1	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 41.41" N	095° 18' 15.51" E	
17	Nokhroy TG2	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 59.69" N	095° 18' 04.93" E	
18	Pagla Basti	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 31' 49.76" N	095° 18' 38.95" E	
19	Nalani TG	TINSUKIA	RANGAGORA	27° 32' 55.17" N	095° 17′ 54.09″ E	

ANNEXURE-III

Map of Eco-sensitive Zone around Bherjan-Borajan-Padumoni Wildlife Sanctuary



Annexure -IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as Annexure
- Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.